



दिनांक: 16-07-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस नकबजनी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 4500/- रुपये बरामद ।

अवगत कराना है कि वादी प्रदीप पवार पुत्र सुरेन्द्र सिंह नि० म० अनुराग विहार मन्दिर वाली गली थाना सदर बाजार सहारनपुर म०- 8218244784 द्वारा अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान का ताला तोडकर 40000 रुपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर महोदय द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए घटना के अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिये। निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा त्वरित कार्यावाही करते हुए आज दिनांक 16.07.2024 को अभियुक्त **अंकित पुत्र नेकीराम निवासी ग्राम कपासा थाना नागल सहारनपुर** को काशीराम बस अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभि० के कब्जे से चोरी के 4500 रु बरामद हुए। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय में पेश किया जाएगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त अंकित उपरोक्त ने बताया कि मैंने दिनांक 11.07.2024 को दिन में अनुराग विहार कालोनी में एक मकान का ताला तोडकर कमरे में रखी रैक से 40 हजार रुपये चोरी किये थे, उन्ही में से ये रुपये बचे हैं बाकी रुपये मैंने खर्च कर लिये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभियुक्त अंकित पुत्र नेकीराम नि० ग्रा० कपासा थाना नागल सहारनपुर।

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०स० 38/24 धारा 380, 411 भादवि० चलानी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. मु०अ०स० 54/24 धारा 420/467/468/471 भादवि० चलानी थाना देवबंद सहारनपुर।
3. मु०अ०स० 327/20 धारा 188/269/270 भादवि० चलानी थाना देवबंद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री अशोक कुमार थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2. का० 2241 अनिल थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का० 2486 जितेन्द्रकुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 16.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री कपिल देव के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 16.07.2024 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तगण 1.शहजाद पुत्र सीदा निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर को सम्बन्धित वाद संख्या—10151/23 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट व 2. अब्बल हसन पुत्र सीदा निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना सम्बन्धित वाद संख्या—11575/23 धारा—3/5/8 सीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. शहजाद पुत्र सीदा निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना सहारनपुर ।
2. अब्बल हसन पुत्र सीदा निवासी मौ0 गढी कस्बा व थाना चिलकाना ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शहजाद उपरोक्त:-

मु0अ0सं0—494/19 धारा—4/25 आर्म्स एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त:-

वाद संख्या—11575/23 धारा—3/5/8 सीएस एक्ट थाना चिलकाना सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. उ0नि0 श्री करन नागर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 479 अमित कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।
3. का0 634 मनोज कुमार थाना चिलकाना सहारनपुर ।



प्रेस नोट

दिनांक: 16/07/2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 अवैध तमंचा व 01 मस्कट के साथ 02 अभियुक्तगणों को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक गंगोह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 15/07/2024 को थाना गंगोह पुलिस द्वारा दौराने चैकिंग अभियुक्तगण:- (1) मशरुफ उर्फ विक्की पुत्र खुर्शीद नि० मौ० सजादपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर तथा (2) दानिश पुत्र इरशाद नि० निच्ची उर्फ सररपुर तगा कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर को नकुड़ रोड पशु पैठ चौराहा के पास से अवैध तमंचा व मस्कट के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु०अ०सं०- 287/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ करने पर अभियुक्तगण मशरुफ उर्फ विक्की व दानिश उपरोक्त ने बताया कि यह तमंचे (मस्कट) हमने राह चलते आदमी से कम कीमत पर खरीदे थे। हम मस्कट को बेचने जा रहे थे, ताकि हम इनको बेचकर अधिक रुपये कमा सके और अपने शौक पूरे कर सकें।

बरामदगी का विवरण:-

01 तमंचा व 01 मस्कट

गिरफ्तार शुदा अभियुक्त का नाम व पता:-

- (1) मशरुफ उर्फ विक्की पुत्र खुर्शीद नि० मौ० सजादपुरा कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर
- (2) दानिश पुत्र इरशाद नि० निच्ची उर्फ सररपुर तगा कस्बा व थाना नकुड़ जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ०नि० वीरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. है०कां० 362 अमित कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. है०का० 376 सचिन चौहान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. है०का० 106 विक्रान्त मान थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. है०का० 409 नरेन्द्र कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. कां० 1839 सन्नी राणा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
7. कां० 688 प्रवीण तोमर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ, सहारनपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के द्वारा चलाये जा रहे अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष बिहारीगढ के कुशल नेतृत्व में थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.07.2024 को थाना हाजा के मु0अ0सं0 85/2024 धारा 411/414/420/482 भा.द.वि. में वांछित चल रहे अभियुक्त **मुस्तकीम पुत्र मीरहसन निवासी ग्राम भांकरोड थाना बेहट जनपद सहारनपुर** को सुन्दरपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया। ज्ञात हो कि **अभियुक्त मुस्तकीम के अन्य साथियों शहनवाज, अयान और कौशर को पुलिस ने दिनांक 27.05.2024 को 04 मोटरसाइकिल के इंजन, 01 मोटसाइकिल प्लेटिना व 01 मोटरसाइकिल स्पैलण्डर एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।** अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:- गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं अपने साथी शहनवाज पुत्र नूरहसन व अयान पुत्र इनाम व कौशर पुत्र कामिल निवासीगण ग्राम कुरडीखेडा चानचक थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर के साथ मिलकर अलग अलग जगहों से मोटर साइकिल चोरी करते हैं और अपने साथी कौशर पुत्र कामिल की मोटरसाइकिल की दुकान पर ले जाकर उन मोटरसाइकिलों के हिस्से पुर्जे अलग अलग करते थे तथा नम्बर प्लेट भी बदल देते थे। मोटरसाइकिल के हिस्से व पुर्जों को बाजार तथा राह चलते कबाड़ियों को बेच देते हैं। जो पैसा मिलता है उस पैसों को हम आपस में बाट लेते थे।

गिरफ्तार अभियुक्त मुस्तकीम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 85/24 धारा 411/414/420/482 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 591/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री वेदप्रकाश थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर
2. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 16.07.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि दिनांक आज 16.07.2024 को वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत वादी के घर में घुसकर वादी की पत्नी निवासी हाकमशाह कालोनी लाल मस्जिद के पास थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर मो0नं0 8439392796 उम्र 25 वर्ष को जान से मारने की नियत से पेट में धारदार हथियार मारकर घायल कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया। दाखिला प्रार्थना पत्र व मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मु0अ0सं0 205/24 धारा 332सी/109 बी0एन0एस0 पंजीकृत किया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटना का अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा अ0 प्रभारी निरीक्षक श्री गिरीशचन्द्र के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर आदि के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के वांछित अभियुक्तगण 1. समीर पुत्र रईश निवासी मौहम्मदी मस्जिद हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर व 2.जुबैर पुत्र गुलजार निवासी ग्रीन पार्क थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को ग्रीन पार्क से कच्चा 62 फुटा रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1. समीर पुत्र रईश निवासी मौहम्मदी मस्जिद हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
- 2.जुबैर पुत्र गुलजार निवासी ग्रीन पार्क थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. अ0 प्रभारी निरीक्षक श्री गिरीशचन्द्र थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 31 सुभाष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 894 अमित कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

प्रेस विज्ञप्ति:-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी-01 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई: -

अवगत कराना है, कि दिनांक 02.02.2021 को वादी मौ० अमजद पुत्र रियाजुल हसन नि० दाबकी जुनारदार थाना जनकपुरी स०पुर द्वारा अभियुक्त 1-मांगेराम_पुत्र रामचन्द नि० कच्चीगढी थाना गढीपुख्ता जनपद शामली हाल निवासी-दाबकी जुनारदार थाना जनकपुरी स०पुर द्वारा एक अज्ञात महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास करना व जान से मार देने की सूचना पर मु०अ०स०-35/2021 धारा 304 भादवि थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान बढौत्तरी धारा 302,511,376 भादवि में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। उपरोक्त अभियोग एसटी नं० 1260/2021 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी-1 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीष एडीजे/एफटीसी-1 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 16.07.2024 को 1-मांगेराम_पुत्र रामचन्द को मु०अ०स०-35/2021 धारा 376,511,302 भादवि का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 15 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

शासकीय अधिवक्ता (ए०डी०जी०सी०) श्री सतीष सैनी
विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री अरुण गौतम
पैरोकार हे०का० 754 प्रीतम सिंह कुमार थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 16-07-2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा धोखाधड़ी का 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

अवगत कराना है कि वादिया श्रीमती रजनी सचदेवा पत्नी स्व० रजत सचदेवा नि० हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर द्वारा दिनांक 01.10.022 को अभि० 1. मन्जूरानी पत्नी नवीन मेहन्दी नि० हकीकत नगर थाना सदर बाजार, 2.नितिन बजाज पुत्र अरुण कुमार नि० हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर, 3.सुमित आन्नद पुत्र सुभाष आन्नद हकीकत नगर थाना सदर बाजार एवं 4.पंकज यादव पुत्र मनमोहन लाल यादव नि० हकीकत नगर थाना सदर बाजार सहारनपुर ने वादिया के खिलाफ षडयन्त्र रचकर वादिया के साथ धोखाधड़ी करने के सम्बन्ध में थाना सदर बाजार पर अभियोग मु०अ०स० 559/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भा०द०वि० पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों की धरपकड हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के कुशल पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिंह थाना सदर बाजार द्वारा गठित टीम द्वारा कार्यावाही करते हुए दिनांक 16.07.2024 को अभियुक्त अभि० नितिन बजाज पुत्र अरुण कुमार निवासी मकान नं० K-29, हकीकत नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा० न्यायालय में पेश किया जाएगा ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभि० नितिन बजाज पुत्र अरुण कुमार निवासी हकीकत नगर थाना सदर बाजार, सहारनपुर

अभियुक्त अंकित का आपराधिक इतिहास:-

1.मु०अ०स० 559/2022 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि थाना सदर बाजार सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- व० उ०नि० विपिन कुमार त्यागी थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
- का० 132 संदीप थाना सदर बाजार सहारनपुर ।